सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 30, बुधवार, शाके 1944-अप्रेल 20, 2022
Chaitra 30, Wednesday , Saka 1944- April 20, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 19, 2022

संख्या प. 20 (2) गृह-9/2021पार्ट1 :-यतः राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रदेशव्यापी हडताल का आव्हान किया गया है। यह कि राज्य सरकार का यह विचार है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हडताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अतः राज्य सरकार राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (i) एवं (iV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को एतद्द्वारा दिनांक 19.04.2022 से आगामी 06 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मुकेश पारीक,
शासन उप सचिव, गृह।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 19, 2022

संख्या प. 20 (2) गृह-9/2012पार्ट1 :-यत राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (i) एवं (iV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-04-2022 के द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को दिनांक 19-04-2022 से आगामी 06 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है।

यत राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उप-धारा (1)

की शक्तियों को प्रयोग करते हुये राज्य सरकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हडताल किये जाने को एतद्द्वारा दिनांक 19.04.2022 से आगामी 06 माह तक के लिये प्रतिषेध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मुकेश पारीक,
शासन उप सचिव, गृह।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।